अनुसूची २१-प्रपत्र संख्या ११२। आदेश सं. 844 दिनांक 18/8/2022

सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं० 674 २०22 आवेदन सं० 674 २०22

। चूँकि श्री Asst. Gen. Manager S.B.I. RAS Office [illegible] संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित दस्तावेजों का और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण २)

। एतद्द्वारा मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दस्तावेजों और अवभारों के बारे में बही १ में और पुराने सम्बन्ध अनुक्रमणिकाओं में ता. 2.0.0.7 से till date तक तलाश की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न दस्तावेजों और अवभारों का पता चला है।

क्रम सं०	क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की बही के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Mauza- Kolakusma Ho. 12 New Khata Ho. 661, 478, 256 old Khata Ho. 38, 156, 49 New Plot Ho. 3560, 3556, 3557, 3561. old Plot Ho. 2761, 2766, 2763, 2764, 2765 Total Area- 52 Dec HL							

R. M. Mandal

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

ख) १. बंधक-पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। दशाएँ, कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२. पट्टा की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- [illegible]

(पदनाम) - Clerk

तलासी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर)- [illegible]

(पदनाम) - Clerk

कार्यालय Dhanbad Sub. Registry Office

मुहर

दिनांक 10/2/2020

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा दिया प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों की निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो ऐसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करना होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेगी।

क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलासी अपने पदाधिकारी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूँकि उनके द्वारा पढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों का सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Such made by me
R. M. Mandal